

**बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
आदेश**

पटना, दिनांक-08.01.2026

संचिका संख्या-03/आ०१-76/2024.1/346931/ श्री कुमार अरविन्द सिन्हा, तत्कालीन प्रभारी पदाधिकारी, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कार्यालय सम्प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के विरुद्ध राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, बिहार से अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ था।

2. श्री सिन्हा से बचाव अभिकथन की मांग की गयी तथा बचाव अभिकथन को संतोषजनक नहीं पाए जाने के कारण विभागीय संकल्प संख्या-210106 दिनांक 28.02.2025 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किया गया।

3. इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने हेतु श्री अनिल कुमार, निदेशक जन शिक्षा-सह-अपर सचिव को संचालन पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया।

4. श्री अनिल कुमार, संचालन पदाधिकारी-सह-निदेशक, जन शिक्षा निदेशालय, बिहार, पटना के ज्ञापांक-1323 दिनांक 29.12.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अभिलेख पर उपस्थापित तथ्यों, साक्ष्यों तथा आरोप प्रपत्र के सम्यक समीक्षोपरांत विभागीय जाँच प्रतिवेदन के त्रुटिपूर्ण एवं विरोधाभासी पाए जाने तथा आरोप के अविशिष्ट रहने के कारण प्रथम आरोप अप्रमाणित पाया गया है। संचिका सं०-SPMU/35/2019 के टि०/1-2 पर अंकित नोडल पदाधिकारी के हस्ताक्षर के आधार पर आरोप संख्या-2 अप्रमाणित पाया गया है।

5. इस मामले की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गई है। जाँच/संचालन में आरोप प्रमाणित नहीं पाए गए हैं। अतः उपर्युक्त के आलोक में श्री कुमार अरविन्द सिन्हा, तत्कालीन प्रभारी पदाधिकारी, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कार्यालय सम्प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के विरुद्ध आलोच्य अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

6. उक्त पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(मनोरंजन कुमार)

निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक:-03/आ०१-76/2024.1/346931/ पटना, दिनांक:-08.01.2026

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/राज्य परियोजना निदेशक/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य टेक्सट बुक कॉरपोरेशन/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्/मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना/सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/विशेष निदेशक (मा०शि०)/सभी उप निदेशक/सभी संयुक्त निदेशक/सहायक निदेशक/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/श्री कुमार अरविन्द सिन्हा, तत्कालीन प्रभारी पदाधिकारी, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कार्यालय सम्प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एवं आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by

Manoranjan Kumar

Date: 08-01-2026 17:33:22